



हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH

417/mc B 823829
4-3-21

इकरारनामा



हम सुरेश राणा आयु 56 साल पुत्र श्री जय चन्द, व श्री अनुराधा राणा आयु 56 साल निवासी गांव, डा0 व तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के है जो कि भूमि खाता नं0 213 खतौनी नं0 312 खसरा नं0 989/9, 990/9, 23 रकवा तादादी 00-33-36 है0 सालम व खाता नं0 144 मिन खतौनी नं0 220 खसरा नं0 988/9, रकवा तादादी 00-09-72 है0 जुमला रकवा 00-43-08 है0 महाल मंझग्रा मौजा लदवाड़ा तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी 2015-16 हमारे नाम कागजात माल दर्ज है हम उपरोक्त भूमि रकवा 00-43-08 है0 को अपने तमाम अधिकारो व हक हकूक मालिकी दाखिली खारिजी रास्ता पानी चारांद माल गुजारी दरखतान हक इत्यादि सहित मुबलिंग रु 25,000/-पचीस हजार रुपये प्रति बर्ष के हिसाब से न्यू


RO & AQ Hence attested
Executive Magistrate
Sharpur

4-3-21

Nº 1135412

2
0
2
0

Himachal Government Judicial Paper

मिलेनियम इन्टरनैशनल स्कूल सोसायटी रजि० मंझग्रा लदवाडा तहसील शाहपुर जिला कांगडा हि० प्र० बजरिया श्री सूर्या प्रताप सिंह पुत्र श्री सुरेश राणा के पास पैतालिस (45) साल के पटटे पर देने का इकरार करते है इस बारे में हमने उपरोक्त पटटा गृहिन्दा से आज मुबलिग रु. 10,000/- दस हजार रूपये बतौर व्याना अग्रमि राशि वसूल पा लिए है हम सोसायटी के नाम भूमि की लीज डीड/पटटानामा सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद एक महीने के अन्दर करवा देगें । यह इकारनामा दोनों पक्षों के वारिशो पर भी लागू होगा। अतः यह इकारनामा आज हमने अपने पूर्ण होशो हवास व स्थिर बुधि की दशा में निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिखवाकर तहरीर करवा दिया है ताकि प्रमाण रहे दिनांक 04-03-2021



पहचानकर्ता / गवाह

कमल किशोर पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर

प्रथम पक्षगण

(सुरेश राणा) (अनुराधा राणा)

गवाह

Anay Kumar
Shahpur
R. W. S.
Teh Shampur

द्वितीय पक्षगण

(न्यू मिलेनियम इन्टरनैशनल स्कूल सोसायटी रजि० मंझग्रा लदवाडा)

बजरिया सूर्या प्रताप सिंह

उपरोक्त इकरार नामा पत्र दोनों पक्षों के कहे अनुसार लिखा गया व पढकर सुनाया गया जिसे सही मानते हुऐ दोनों पक्षों में गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर / अगूठा किया ।

लेखक:- कमल किशोर वसीका नवीस